

E-mail


बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक.....

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-08/2017 4566 /विभागीय अधिसूचना सं0-3917 दिनांक 08.09.2017 द्वारा श्री अशोक कुमार, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, गया को सिविल लाईन थाना कांड सं0-348/17 दिनांक 25.08.2017 में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 25.08.2017 से निलंबित किया गया था। श्री कुमार द्वारा न्यायिक हिरासत से रिहा होने के बाद दिनांक 11.10.2017 को सहायक आयुक्त उत्पाद, गया को सूचना दिये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-9 (3) (i) के तहत श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुए योगदान स्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(अभय राज)

सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-08/2017 4566 /

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक 09.11.17



सरकार के विशेष सचिव,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 09.11.17

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-08/2017 4566 /

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, गया/सहायक आयुक्त उत्पाद, गया/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा-5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री अशोक कुमार, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, गया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय-उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।